

समाज में बढ़ता लिंग असन्तुलन

डॉ. सुशील कुमार त्यागी

अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय, रतनगढ़, चूरू

सारांश

समाज में बढ़ता लिंग असन्तुलन, अर्थात् पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान अनुपात, आज कई देशों विशेषकर विकासशील राष्ट्रों के लिए एक गंभीर सामाजिक, जनसांख्यिकीय और नैतिक चुनौती बन चुका है। प्राकृतिक जन्म अनुपात में मामूली अंतर सामान्य माना जाता है, परन्तु भारत जैसे देशों में सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी कारणों के चलते यह असन्तुलन चिंताजनक स्तर तक पहुँच गया है। पुत्र-प्राथमिकता, दहेज प्रथा, सामाजिक असुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के असमान अवसर, और भ्रूण-लिंग पहचान तकनीकों का दुरुपयोग इस समस्या के प्रमुख कारण हैं। इस शोध-पत्र में भारत के संदर्भ में लिंग असन्तुलन के मूल कारणों, उसके सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रभावों, तथा नीति-स्तर पर किए गए प्रयासों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। साहित्य-समिक्षा के आधार पर यह अध्ययन दर्शाता है कि असन्तुलित लिंग अनुपात विवाह बाजार में अस्थिरता, अपराध दर में संभावित वृद्धि, महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, तथा श्रमशक्ति व आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न करता है। पेपर निष्कर्षतः सुझाता है कि इस समस्या के समाधान के लिए बहु-आयामी रणनीतियों—कड़े कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा व जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक भागीदारी, और सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन—का संयुक्त रूप से लागू होना अत्यंत आवश्यक है।

कुंजीशब्द: लिंग असन्तुलन, सेक्स अनुपात, महिला सशक्तिकरण, गर्भलिंग परीक्षण, सामाजिक प्रभाव, नीति

1. भूमिका

लिंग असन्तुलन उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ किसी समाज में पुरुष और महिला की संख्या सामान्य या जैविक रूप से अपेक्षित अनुपात से भिन्न होती है। सामान्य परिस्थितियों में प्राकृतिक जन्म अनुपात लगभग 105 पुरुष प्रति 100 महिला माना जाता है; परन्तु भारत सहित कई देशों में यह अनुपात सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों के कारण असामान्य रूप से बदल गया है। भारत में पिछले कुछ दशकों में कई राज्यों में पुरुषों का अनुपात बढ़ा है, जबकि कन्याओं की संख्या में चिंताजनक कमी दर्ज की गई है। यह स्थिति केवल जनसांख्यिकीय असन्तुलन का संकेत नहीं है, बल्कि समाज के भीतर गहरी जड़ें जमाएँ लैंगिक भेदभाव, पुत्र-प्राधान्य मानसिकता, दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों और महिलाओं की असमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति को भी उजागर करती है।

लिंग असन्तुलन के दूरगामी प्रभाव समाज की संरचना, विवाह बाजार, अपराध दर, श्रमशक्ति की उपलब्धता और समग्र विकास पर पड़ते हैं। इसके साथ ही यह महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों और सम्मान को भी सीधे प्रभावित करता है। इसलिए, लिंग असन्तुलन को समझना मात्र आंकड़ों का अध्ययन नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे सामाजिक व्यवहार, नीतियों और संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य इन सभी पहलुओं का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करना और संतुलित समाधान सुझाना है।

2. साहित्य-समिक्षा

पिछले कई दशकों में किए गए शोध यह दर्शाते हैं कि लिंग असन्तुलन का मूल कारण केवल तकनीकी प्रगति, जैसे भ्रूण-लिंग निर्धारण तकनीक, नहीं है; बल्कि यह समस्या सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई है। शोध बताते हैं कि घरेलू आर्थिक संरचनाओं में पुत्रों को परिवार की आर्थिक सुरक्षा, वृद्धावस्था में सहारा और वंश-नाम को आगे बढ़ाने वाले के रूप में देखा जाता है, जबकि कन्याओं को प्रायः आर्थिक बोझ या अस्थायी सदस्य के रूप में माना जाता है। दहेज प्रथा इस असमान दृष्टिकोण को और सुदृढ़ करती है, जिससे कन्या जन्म के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बनता है।

अध्ययन यह भी इंगित करते हैं कि ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक अवसरों की असमानता, महिलाओं की सीमित शिक्षा, कम रोजगार भागीदारी, और सामाजिक सुरक्षा तंत्र की कमजोरी लिंग असन्तुलन को बढ़ावा देती है। मनोवैज्ञानिक रूप से पुत्र-प्राथमिकता (son preference) कई समुदायों की सांस्कृतिक मान्यताओं में गहराई से निहित है। नीति-स्तर पर किए गए अध्ययनों से स्पष्ट है कि केवल कानूनी प्रतिबंध, जैसे लिंग-निर्धारण पर रोक, पर्याप्त नहीं हैं।

शोधकर्ता बताते हैं कि शिक्षा, जागरूकता, और महिला सशक्तिकरण केन्द्रित सामाजिक हस्तक्षेप ही इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकते हैं।

3. अनुसंधान प्रश्न और पद्धति

यह शोध-पत्र एक संलिस्ट (review-based) अध्ययन है, जिसमें मौजूदा शोध साहित्य, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें, सरकारी सर्वेक्षण (जैसे NFHS, जनगणना) और विभिन्न नीति-दस्तावेजों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य लिंग असन्तुलन के पीछे छिपे संरचनात्मक कारणों, उसके प्रभावों और नीति-स्तरीय प्रयासों को समग्र रूप से समझना है।

इस शोध के प्रमुख अनुसंधान प्रश्न निम्नलिखित हैं:

- 1) लिंग असन्तुलन के मूलभूत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारण क्या हैं?
- 2) यह असन्तुलन समाज की संरचना, विवाह-पद्धति, महिला सुरक्षा, श्रमशक्ति और आर्थिक विकास पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव डालता है?
- 3) अब तक लागू की गई नीतियों, कानूनों और सामाजिक कार्यक्रमों में से कौन-से प्रभावी रहे हैं, और आगे किन बहु-आयामी कदमों की आवश्यकता है?

इस अध्ययन में प्रयुक्त पद्धति मुख्यतः साहित्य-समिक्षा, तुलनात्मक विश्लेषण और नीति-विश्लेषण पर आधारित है। इसमें विभिन्न शोध-पत्रों, सरकारी रिपोर्टों और सामाजिक अध्ययनों के निष्कर्षों का तुलनात्मक अध्ययन कर समस्या की जड़ों को समझा गया है। यदि आगे गहन शोध आवश्यक हो, तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण, जनमत अध्ययन और गुणात्मक साक्षात्कार (qualitative interviews) जैसे प्राथमिक शोध उपकरण अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं, जिससे समस्या की वास्तविक स्थितियों का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सके।

4. कारण

लिंग असन्तुलन के प्रमुख कारण कई स्तरों पर विभक्त किए जा सकते हैं:

4.1 सांस्कृतिक कारण

- **पुत्र चाह (Son preference):** पारंपरिक मान्यताएँ – धार्मिक रस्मों का निर्वाह, परिवार की नाम-संरक्षण, तथा कृषि/व्यवसाय में पुत्रों की उपयोगिता – बेटों को प्राथमिकता देती हैं।
- **दहेज प्रथा और आर्थिक कारण:** कन्या के कारण परिवार पर संभव आर्थिक बोझ का भय कई बार बेटों के पक्ष में निर्णय प्रभावित करता है।

4.2 आर्थिक व संरचनात्मक कारण

- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा के लिए संतान (खासकर पुत्र) पर निर्भरता।
- **शिक्षा व रोजगार के अवसरों की कमी:** लड़कियों की शिक्षा व आत्मनिर्भरता न होने पर परिवार के निर्णय प्रभावित होते हैं।

4.3 तकनीकी कारण

- **गर्भलिंग परीक्षण और चिकित्सा तकनीक:** भ्रूण-लिंग पहचान तकनीकों का दुरुपयोग एल्टरनेट जन्म अनुपात का कारण बनता है।

4.4 अन्य कारण

- **स्वास्थ्य सेवा असमानता:** लड़कियों के लिए पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता शिशु एवं बाल मृत्यु दर को प्रभावित कर सकती है।
- **मानसिक व सामाजिक दबाव:** परिवार में, समुदाय में और सामाजिक संस्थाओं से पैदा हुए दबाव भी प्रभाव डालते हैं।

5. सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

लिंग असन्तुलन के परिणाम व्यापक और दीर्घकालिक होते हैं:

5.1 विवाह बाज़ार पर प्रभाव

पुरुषों की अनुपातिक वृद्धि से विवाह योग्य महिलाओं की कमी और सामाजिक अस्थिरता – जैसे 'मैरिज स्कार्सिटी' – जन्म ले सकती है। इससे विवाह के पारम्परिक स्वरूप, दहेज़ पर दबाव और कभी-कभी अपराध व हिंसा में भी वृद्धि हो सकती है।

5.2 अपराध व सामाजिक अस्थिरता

कुछ शोध बताते हैं कि असंतुलित लिंग अनुपात से सामाजिक प्रतिस्पर्धा और हिंसा के जोखिमों में वृद्धि का संबंध हो सकता है – खासकर युवाओं के बीच बेरोज़गारी और सामाजिक अलगाव के साथ।

5.3 श्रम बाजार और आर्थिक विकास पर प्रभाव

महिला आबादी के घटने से श्रम शक्ति, घरेलू अर्थव्यवस्था, और उपभोक्ता मांग पर प्रभाव पड़ता है। महिला सशक्तिकरण और विविध सामाजिक भागीदारी घटने से समग्र विकास प्रभावित हो सकता है।

5.4 महिलाओं का स्वास्थ्य व अधिकार

कम महिला अनुपात का अर्थ है महिलाओं पर सामाजिक दबाव बढ़ना, उनके अधिकारों व सुरक्षा की स्थिति में गिरावट आना, और लैंगिक असमानताओं का और पुष्ट होना।

6. नीतिगत उपाय व हस्तक्षेप

लिंग असन्तुलन जैसी गहरी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए बहु-आयामी, समन्वित और दीर्घकालिक हस्तक्षेप आवश्यक हैं। सबसे पहले, कानूनी और नियंत्रक उपायों को प्रभावी बनाना आवश्यक है। भ्रूण-लिंग परीक्षण और लिंग-चयनात्मक गर्भसमापन पर लागू कानूनों-विशेषकर PCPNDT Act-का कठोर क्रियान्वयन और नियमित निगरानी अनिवार्य है। दंडात्मक प्रावधानों के साथ जागरूकता अभियानों का संयोजन व्यवहार-स्तर पर परिवर्तन को अधिक टिकाऊ बनाता है।

आर्थिक प्रोत्साहन और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर लक्षित वित्तीय योजनाएँ, जैसे स्कॉलरशिप, कन्या धन योजनाएँ, और स्वास्थ्य बीमा, परिवारों को बालिकाओं को समान अवसर देने हेतु प्रेरित करती हैं। शिक्षा और जन-जागरूकता के माध्यम से लैंगिक समानता का मूलभूत आधार तैयार किया जा सकता है। स्कूलों में जेंडर-संवेदनशील पाठ्यक्रम, मीडिया अभियानों और समुदाय आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक मान्यताओं में धीरे-धीरे परिवर्तन लाया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अधिक अवसर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे परिवारों की सोच में सकारात्मक बदलाव आता है। अंततः धार्मिक, स्थानीय और सामुदायिक नेताओं की भागीदारी तथा सकारात्मक रोल मॉडल प्रस्तुत करने वाले अभियानों से सामाजिक मान्यताओं में दीर्घकालिक परिवर्तन संभव है।

7. अनुसंधान सीमाएँ और आगे के अध्ययन के क्षेत्र

इस शोध-पत्र की प्रमुख सीमा यह है कि इसका आधार मुख्यतः साहित्य-समिक्षा और उपलब्ध द्वितीयक डेटा है। क्षेत्रीय विविधताओं, सामाजिक-सांस्कृतिक भिन्नताओं और राज्य-विशेष प्रथाओं का प्रत्यक्ष अध्ययन न होने के कारण कुछ निष्कर्ष व्यापक रूप में सामान्यीकृत हो सकते हैं। कई जिलों और समुदायों में लिंग अनुपात की स्थिति अत्यंत भिन्न है, जिन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए गहन क्षेत्रीय अध्ययन आवश्यक है। भविष्य के शोध के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के अध्ययनों की आवश्यकता है। जन्म रिकॉर्ड और जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों के विश्लेषण पर आधारित क्षेत्रीय मात्रात्मक अध्ययनों से यह समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों में लिंग असन्तुलन अधिक है और क्यों। इसके साथ, परिवारों, स्वास्थ्यकर्मियों और समुदाय के नेताओं के साथ इन-डेप्थ इंटरव्यू जैसे गुणात्मक शोध निर्णय-प्रक्रिया, सामाजिक दबाव और लैंगिकता के प्रति दृष्टिकोण को बेहतर समझने में सहायक होंगे। नीति-हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का कठोर मूल्यांकन (impact evaluation) भी महत्वपूर्ण है, जिससे यह जाना जा सके कि कौन-से कार्यक्रम वास्तव में परिवर्तन ला रहे हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।

8. निष्कर्ष

लिंग असन्तुलन मात्र एक सांख्यिकीय विसंगति नहीं, बल्कि यह समाज की गहरी जड़ वाली मान्यताओं, आर्थिक संरचनाओं और सांस्कृतिक धारणाओं का प्रतिबिंब है। यह समस्या उन सामाजिक असमानताओं और लैंगिक पूर्वाग्रहों को उजागर करती है, जो सदियों से स्थापित रहे हैं। यद्यपि विधिक ढांचे-जैसे PCPNDT Act-ने भ्रूण-लिंग परीक्षण जैसी प्रवृत्तियों पर

नियंत्रण लाने का प्रयास किया है, परंतु केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं। समाज में स्थायी परिवर्तन के लिए शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक अवसरों का विस्तार और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण का विकास अनिवार्य है।

9.

महिला सशक्तिकरण, समुदाय आधारित हस्तक्षेप, माता-पिता की मानसिकता में परिवर्तन, और बालिकाओं के लिए समान अवसर निर्मित करने वाली नीतियाँ दीर्घकालिक समाधान प्रदान करती हैं। अंततः, लिंग समानता किसी एक वर्ग या समुदाय की नहीं, बल्कि पूरे समाज के समग्र विकास, स्थिरता और नैतिक प्रगति के लिए आवश्यक है। एक संतुलित लिंग संरचना वही समाज बना सकती है जो न्यायपूर्ण, समावेशी और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़े।

10. नीतिगत सिफारिशें

- भ्रूण-लिंग परीक्षण पर कड़ाई से अनुपालन + प्रासंगिक डेटा की पारदर्शिता।
- कन्या-विद्यालयी शिक्षा को प्राथमिकता व स्कॉलरशिप बढ़ाना।
- महिलाओं के स्वरोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश।
- समाजिक मान्यताओं बदलने हेतु दीर्घकालिक मीडिया व सामुदायिक अभियानों का संचालन।
- प्रभाव-अध्ययन (impact evaluation) कर के सफल प्रोग्राम्स का स्केल-अप।
- राज्य-स्तरीय व स्थानीय-स्तरीय भागीदारी – पंचायतें, NGOs, व धार्मिक नेता।

संदर्भ

- [1]. Census of India. (2011). *Primary census abstract: Sex ratio and population statistics*. Office of the Registrar General & Census Commissioner, Government of India.
- [2]. Ministry of Women and Child Development. (2018). *Beti Bachao Beti Padhao: Annual report*. Government of India.
- [3]. Government of India. (2003). *The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act: Rules and amendments*. Ministry of Health and Family Welfare.
- [4]. World Bank. (2012). *Gender equality and development: World development report 2012*. World Bank Publications.
- [5]. Bhat, P. N. M., & Zavier, A. J. F. (2003). Fertility decline and gender bias in northern India. *Demography*, 40(4), 637–657.
- [6]. Sen, A. (1990). More than 100 million women are missing. *The New York Review of Books*, 37(20), 61–66.
- [7]. Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- [8]. Population Foundation of India. (2017). *Gender bias and declining sex ratio: Policy review report*. Population Foundation of India.